

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

जे० ओ० कोड संख्या यू०पी० 2735,

CNR NOUPBH010034782026

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-1223/12A/2026

- 1-नसीरुद्दीन उम्र करीब 27 वर्ष पुत्र हमीद खां उर्फ मदारी
 2-लतीफ उर्फ दीपू उम्र करीब 25 वर्ष पुत्र हमीद खां उर्फ मदारी
 निवासीगण ग्राम हुसैनीपुरवा, थाना कोतवाली नानपारा, जनपद बहराइच।

प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी।

मुकदमा अपराध संख्या-634/2022

धारा-323, 504, 506 भा०द०सं० व

धारा 3(1)(द ध) एस०सी०/एस०टी० एक्ट,

थाना-कोतवाली नानपारा, जनपद बहराइच।

18.06.2026

यह जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्तगण नसीरुद्दीन पुत्र हमीद खां उर्फ मदारी व लतीफ उर्फ दीपू पुत्र हमीद खां उर्फ मदारी, निवासीगण ग्राम हुसैनीपुरवा, थाना कोतवाली नानपारा, जनपद बहराइच की ओर से विशेष दाण्डिक वाद संख्या 424/2023, अपराध संख्या 634/2022, धारा-323, 504, 506 भा०द०सं० व धारा 3(1)(द ध) एस०सी०/एस०टी० एक्ट, थाना-कोतवाली नानपारा, जनपद बहराइच, के मामले में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में हैं। नोटिस वादिनी मुकदमा पर तामील है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया है कि जमानत प्रार्थनापत्र प्रथम है तथा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ या किसी अन्य न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष हैं। अभियुक्तगण जमानत देने को तैयार हैं।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थिनी अनुसूचित जाति की खटिक महिला है। प्रार्थिनी के बच्चे कल दिनांक 11.09.2022 को खेत बचाने गये थे। नसरुद्दीन कान में मोबाइल लगाकर बात कर रहे थे तथा बच्चों ने कुछ कहा तब कुछ देर बाद बच्चों को मारा पीटा और भट्टी-भट्टी गाली जातिसूचक दी फिर शाम को नसरुद्दीन आदि के लोग गांव चढ़कर मार करने आये थे। विपक्षीगण प्रार्थिनी के पति को मारा पीटा और गाली भी दिया।

अभियुक्त के अधिवक्ता की तरफ से यह तर्क दिया गया कि अभियोजन का केस बिल्कुल गलत है तथा प्रार्थी/अभियुक्तगण निर्दोष हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी बिलम्ब से दर्ज करायी गयी है। एस.सी./एस.टी.एक्ट की धाराओं को छोड़कर भा०द०सं० की धारा मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण पूर्व से अंतरिम पर हैं। उक्त कथनों के साथ जमानत पर रिहा किये जाने की याचना किया गया।

इसके विपरीत अभियोजन की तरफ से जमानत का विरोध किया गया।

मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा सम्बन्धित पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा

वादिनी मुकदमा को मारने पीटने, अपमानित तथा जान से मारने की धमकी देने का प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख है। एस.सी./एस.टी.एक्ट की धाराओं को छोड़कर भा०द०सं० की धारा मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत नहीं किया गया है। विवेचना के पश्चात विवेचक द्वारा आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्तगण पूर्व से अंतरिम पर है। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अभियुक्तगण द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरुपयोग किया गया हो।

अतः उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में गुणदोष पर बगैर कोई मत व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत किया गया यह जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु०-25,000/- (पच्चीस हजार) रुपये के निजी बन्धपत्र एवं इसी धनराशि के दो-दो प्रतिभू पत्र निष्पादित करने पर निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

- 1- प्रार्थी/अभियुक्तगण आरोप एवं धारा 351 बी०एन०एस०एस०(धारा 313 द०प्र०सं०) के बयान के दिनांक को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगे।
- 2- अभियुक्तगण अभियोजन साक्षियों को किसी भी प्रकार से न डरायेगा, धमकायेगा और न ही अभियोजन साक्षियों से छेड़-छाड़ करेगे।
- 3- अभियुक्तगण जमानत पर अवमुक्त होने के उपरान्त न्यायालय में नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा, जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगे तथा जमानत अवधि में कोई अविधिक क्रिया कलाप नहीं करेगे।

(पवन कुमार शर्मा-II)

विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।

दिनांक: 18.06.2026